न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रेक, दांतारामगढ जिला सीकर

प्रकरण संख्या– 169/2013/TI

1. कानसिंह पुत्र श्री डूंगर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चन्द्रसिंहपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थी

बनाम

1. मदन कंवर बेवा डूंगर सिंह
2. जतन सिंह
3. करण सिंह
4. जगमाल सिंह } पुत्रगण डूंगर सिंह
5. गोविन्द सिंह
6. बजरंग सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम चन्द्रसिंहपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थीगण

आवेदन अं0 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–
1. श्री भंवर सिंह वकील प्रार्थी की ओर सें।
2. श्री भवानी सिंह शेखावत वकील अप्रार्थीगण की ओर सें।

निर्णय

दिंनाक :– 09.07.2019

1. आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगंण सं0 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 6 की पुश्तैनी कृषि भूमियां वर्तमान खसरा नम्बर 85 रकबा 3.3000 हैक्टर, ख0नं0 86 रकबा 1.04 है0, ख0नं0 87 रकबा 0.72 है0, ख0नं0 88 रकबा 1.43 है0, ख0नं0 89 रकबा 1.20 है0 किता 5 कुल रकबा 7.69 है0 तथा खसरा नम्बर 226 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 105 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 106 रकबा 1.12 है0, ख0नं0 107 रकबा 2.22 है0, ख0नं0 108 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 109 रकबा 1.77 है0, ख0नं0 109/751 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 110 रकबा 0.85 है0, ख0नं0 111 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 112 रकबा 0.05

Scanned by CamScanner

है0 किता 9 कुल रकबा 6.16 हैक्टेयर वाके ग्राम चन्द्रसिंहपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। ख0नं0 85 ता 89 में प्रार्थी के पिता का हिस्सा 1/6 तथा खसरा नम्बर 226 में प्रार्थी के पिता का हिस्सा 1/2 व रघुनाथ सिंह का हिस्सा1/2 था लेकिन रघुनाथसिंह नाऔलाद फौत हो जाने के कारण उक्त 1/2 हिस्सा भी प्रार्थी के पिता को प्राप्त हो गया तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 105 ता 109, 109/751, 110 ता 112 वादी के पिता की खातेदारी की कृषि भूमि है। प्रार्थी के पिता डूंगर सिंह की मृत्यु के पश्चात वादी एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 6 बहिस्सा बराबर रहे। विरासतन खातेदारी भी प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 6 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हो गई। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद सें ही प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 6 विरासतन हक के आधार पर बराबर हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे है। कानून के खिलाफ राजस्व रिकॉर्ड में जरिये शुद्धि पत्र सं0 1 दिनांक 13.03.2008 को प्रार्थी का नाम अपने पिता की पुश्तैनी कृषि भूमियों की खातेदारी में सें हटा दिया गया। जिससे प्रार्थी को सख्त हकतल्फी है तथा इससे प्रार्थी के विरासतन हक प्रभावित हुए है। अतः उक्त शुद्धि पत्र प्रार्थी के अधिकारों के खिलाफ बेहसर है, जिसको राजस्व रिकॉर्ड सें हज्ब किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं0 1 ता 6 को विरासतन खातेदारी उत्तराधिकार के मुताबिक दुरूस्त करवाने का निवेदन किया तो दिनांक 02.07.2009 को स्पष्ट इनकार हो गये एवं प्रार्थी को धमकी दी जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। इस कारण उन्हें ऐसा न करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा सें पाबन्द फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। यदि अप्रार्थीगण दावे में प्रश्नगत भूमियों में प्रार्थी का हिस्सा विक्रय, अंतरित, प्रभारित कर देते है तो प्रार्थी को असीम क्षति होगी जिसकी तलाफी बाद में नहीं हो सकेगी इस कारण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा सें पाबन्द फरमाया जावे।

2. आवेदन पेश होने पर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगणों की ओर सें जवाब आवेदन 212 आरटीए में अनावेदकगण का कथन व सार यह है कि मद सं0 1 में वाद प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है लेकिन वाद आधारहीन व गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। मद सं0 2 में वर्णित खानदान सही है लेकिन शेष तथ्य गलत है रघुनाथसिंह का हिस्सा आवेदक व अनावेदकगणों को बराबर प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि अकेले कानसिंह को प्राप्त हुआ है। विशेष कथन किया गया कि आवेदक के पिता डूंगरसिंह के आवेदक व अनावेदक सं0 1 लगायत 5 उत्पन्न हुए व रघुनाथ सिंह के और सन्तान नहीं थी उन्होने अपने जीवन काल में ही अपने भाई डूंगरसिंह व उसकी पत्नी मदनकंवर की सहमति से वादी को गोद पुत्र रख लिया था व अपने जीवनकाल में ही अपने हिससे की कृषि भूमियां पुराने खसरा नम्बर 85, 87, 93 कुल रकबा 26 बीघा 19 बिस्वा वादी कानसिंह को अपना दत्तक पुत्र मानकर दे दी जिन पर आज भी वह काबिज है जिनके नवान खसरा नम्बर 229, 230, 237, 243, 248 है। चूंकि कानसिंह सबसें बडा, पढा लिखा व

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़(सीकर)

Scanned by CamScanner

होशियार व नौकरी पेशा वाला व्यक्ति था। पिता डूंगरसिंह अनपढ व वृद्ध व्यक्ति थे व शेष भाई छोटे थे। इन सब का नाजायज फायदा उठाते हुए वादी कानसिंह ने बिना कोई प्रतिफल दिये एक नुमाइंसी विक्रय पत्र रघुनाथसिंह की कृषि भूमियों का तस्दीक करवा लिया जबकि उक्त भूमियां आवेदक को रघुनाथसिंह के दत्तक पुत्र के रूप में उसे प्राप्त हुई थी।इन समस्त तथ्यों सें परिचित होते हुए ि कवह रघुनाथसिंह का दत्तक पुत्र है व रघुनाथसिंह की कृषि भूमियां उसे बिना कोई प्रतिफल दिये प्राप्त हो गई है एवं उसका पिता डूंगरसिंह की जायदाद में उसका कोई हक हिस्सा नहीं है एवं इनके आधार पर उसे नाटिस सें दिनांक 23.01.2001 को तस्दीकशुदा रिलीज डीड ग्राम पंचायत जाना में पेश किया एवं उसके आधार पर जमाबंदी में डूंगरसिंह की विरासत में आवेदक का नाम हटाने का निर्णय ग्राम पंचायत ने सर्व सम्मति सें दिनांक 20.11.2001 को किया है एवं उसी के आधार पर शुद्धि पत्र दिनांक 13.03.2008 को भरा गया है किन्तु अब आवेदक के मन में बेईमानी आ गई है एवं वह दोहरा लाभ प्राप्त करना चाहता है जिसका वह कानूनी रूप सें हकदार नहीं है।

3. आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट व जवाब आवेदन पढा जाने पर तथा आवेदन बहस बकुलाय पर मनन करने पर प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत जाना ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत रिलीज डीड दिनांक 23.01.2001 पेश कर निवेदन करने पर ग्राम पंचायत जाना ने दिनांक 20.11.2001 की पालना में सही आधार पर वादी आवेदक का नाम हटाया है व दिनांक 13.03.2008 को राजस्व रिकॉर्ड में जरिये शुद्धि पत्र के आधाार पर शुद्धि कर दी गई है आवेदक का आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। अतः आवेदक का आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम व मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
दांतारामगढ़(सीकर)

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर फास्टट्रेक, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner